


शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी

क्रमांक-1960/स्था. /विज्ञप्त /2019

दिनांक : 26.04.2019

// विज्ञप्ति सूचना //

1. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के अधीन प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं प्रदर्शक-ट्यूटर के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु आवेदन पत्र शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी हेतु अधिष्ठाता कार्यालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी, कत्था मिल के पास, ग्वालियर बायपास हाईवे, शिवपुरी (म.प्र.) - 473638 में दिनांक 10.05.2019 सायं 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी मध्यप्रदेश की वेबसाईट <http://shivpurimedicalcollege.com> पर एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
2. समस्त पात्र एवं शॉर्ट लिस्टेड आवेदकों के साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे।
नोट - सभी पात्र एवं शॉर्ट लिस्टेड आवेदको को फोन द्वारा/ ईमेल द्वारा/ स्पीड पोस्ट द्वारा साक्षात्कार की सूचना भेजी जायेगी।
3. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अधिष्ठाता कार्यालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी, कत्था मिल के पास, ग्वालियर बायपास हाईवे, शिवपुरी (म.प्र.) - 473638 में जमा कराये जा सकते हैं।
4. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय..... तथा आवेदित पद का नाम..... और आरक्षित/अनारक्षित..... श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय
शिवपुरी

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी

/ / विज्ञप्ति / /

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के अधीन निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु निम्नलिखित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :

प्राध्यापक / सह प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक / प्रदर्शक-ट्यूटर के पद हेतु विज्ञापन संस्तर

क्र	विषय	प्राध्यापक				सह प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक				प्रदर्शक / ट्यूटर			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	एनाटामी																
2	फिजियोलॉजी																
3	बायोकेमिस्ट्री																
4	पैथालॉजी एण्ड क्लिनिकल	1															
5	माइक्रोबायोलॉजी	1															
6	फोरेंसिक मेडिसिन	1															
7	कम्युनिटी मेडिसिन																
8	मेडिसिन	1															
9	पीडियाट्रिक्स	1															
10	स्किन, बी०डी०एण्ड लेप्रोसी																
11	मनोरोग																
12	आर्थोपेडिक्स	1															
13	ओटीओ - रहिनो लेरिंगोलॉजिकल	1															
14	स्त्री एवं प्रसूति रोग	1															
15	एनेस्थेसिया	1															
16	रेडियोलॉजी	1															

नोट : पदों की संख्या अधिक / कम की जा सकती है।

[Signature]

वेतनमान	—	नियमित नियुक्ति हेतु
प्राध्यापक	—	37400-67000+ ग्रेड-पे 10000+डी0ए0
सह प्राध्यापक	—	37400-67000+ ग्रेड-पे 9000+डी0ए0
सहायक प्राध्यापक	—	15600-39100+ ग्रेड-पे 7000+डी0ए0
प्रदर्शक/ट्यूटर	—	15600-39100+ ग्रेड-पे 6000+डी0ए0

टीप —समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

1. आयु सीमा	—	न्यूनतम
प्राध्यापक	—	35 वर्ष
सह प्राध्यापक	—	30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	—	25 वर्ष
प्रदर्शक/ट्यूटर	—	22 वर्ष

टीप —आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
 - जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
3. अर्हताये :-
 - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।
4. निरर्हतायें—
 - 4.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
 - 4.2 दुश्चरित्र होने पर।
 - 4.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
 - 4.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा — किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
 - 4.5 विवाह संबंधी — जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
 - 4.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।




- 4.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 4.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- 4.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
5. सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेन्ट डॉक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो उसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी।
6. प्रदेश के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों में विगत तीन वर्षों में चयनित कोई अभ्यर्थी समकक्ष अथवा निम्न पद के लिये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा किन्तु उच्च पद के लिये आवेदन कर सकेगा, एवं इसके लिये किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
7. प्रदेश के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा।
8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
9. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
11. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
12. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10.05.2019 सायं 05.00 बजे तक अधिष्ठाता कार्यालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी, कत्था मिल के पास, ग्वालियर बायपास हाईवे, शिवपुरी (म.प्र) –



473638 में प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम.... और आरक्षित /अनारक्षित... श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

13. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाईट <https://shivpurimedicalcollege.com> एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट <http://www.medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय
शिवपुरी

आवेदन का प्रारूप

.....के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि 10/05/2019)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित
फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला.....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. दिनांक / /2019 को आवेदक की आयुदिन माह वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
10. विवाह का दिनांक-
11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

अ. (एम.बी.बी.एस.)-

ब. एमडी/एमएस-

स. एमसीएच/डीएम-

13. शैक्षणिक योग्यताएं:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/ वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तिक/ पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तिक/ प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/MCH/DM						
6	S.R.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

15. रिसर्च पब्लिकेशन :-

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -----

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

STATUS OF VACANCIES TO BE ADVERTISED

REVISED
(FINAL)

Name of Medical College: - GOVT. MEDICAL COLLEGE, SHIVPURI (M.P.)

Vacancy status of faculties: A) for 100 MBBS SEAT (Super specialty / No. of MBBS seats)

B) For 1st Renewal

S. No.	Name of the Department	Designation	Category	No. of Vacant Posts
1	Anatomy	Tutor	ST	01
2	Pathology	Professor	UR	01
		Associate Professor	ST	01
3	Microbiology	Professor	UR	01
		Tutor	ST	01
4	FMT	Professor	UR	01
5	Community Medicine	Associate Professor	ST	01
6	General Medicine	Professor	UR	01
		Associate Professor	1UR, 1ST	02
7	Pediatrics	Professor	UR	01
		Associate Professor	UR	01
8	Dermatology & VDL & Leprosy	Assistant Professor	UR	01
9	Psychiatry	Assistant Professor	UR	01
10	Orthopedics	Professor	UR	01
11	Oto & Rhino laryngology	Assistant Professor	ST	01
12	Obstetrics & Gynaecology	Professor	UR	01
		Associate Professor	UR/ST	01
13	Anesthesiology	Associate Professor	1 UR, 1 ST	02
14	Radio Diagnosis	Associate Professor	UR	01
		Assistant Professor	UR	01

M. S. S.
26/4/19

Dean

Government Medical College
Shivpuri (M.P.)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

Telephone- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 Fax- 0755-4938889]

E-Mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com

website: www.ceomadhyapradesh.nic.in

Post Box No.1164

फा.क्र. 55 / 2019 / चार / एम.सी.सी निर्देश / 5173

भोपाल, दिनांक 16-04-19

प्रति,

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

मध्यप्रदेश

विषय:-प्रदेश चिकित्सा स्वाशासी महाविद्यालय में विभिन्न संवर्गों की प्रक्रिया सतत रखने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी।

उपरोक्त विषयांतर्गत आदेशानुसार लेख है कि उक्त प्रस्ताव जो स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है, पर विचारोपरांत अनुमति प्रदान की जाती है। नियम एवं प्रक्रिया के पालन का दायित्व विभाग का होगा।

(अरुण कुमार तोमर)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश